

नीलामी सूचना

दिनांक : 19-02-2026

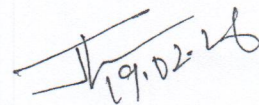
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है जनपद न्यायालय, मैनपुरी में निर्माणाधीन (8+1) 09 न्यायालय कक्ष एवं अभिलेखागार की चिन्हित भूमि के आरहे 5 खड्डे हुए पेड़ों की नीलामी की जानी है।

अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त पेड़ों का किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन कर सकते हैं एवं दिनांक 25.02.2026 को सांय 04.30 बजे जनपद न्यायालय के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के समक्ष पेड़ों की नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

नीलामी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है जो निम्न प्रकार है:-

1. उक्त 5 पेड़ों की नीलामी की न्यूनतम बोली 8,450/- (आठ हजार चार सौ पैंतालीस रुपये) निर्धारित की गयी है।
2. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 2,000/- रुपये जमा करने के पश्चात ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
3. जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली का 100 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।
4. जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा जमानत धनराशि को उक्त धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी शेष प्रतिभागी की जमानत धनराशि उन्हें उसी कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अन्तिम रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा उपरोक्त 5 पेड़ों को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार कटवाकर ले जाना होगा तथा नीलामी प्राप्तकर्ता नीलामी तिथि के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त दो दिवस के अन्दर उक्त 5 पेड़ों को अपने स्वयं के खर्चे पर निर्धारित स्थान से ले जाना सुनिश्चित करें।
7. उपरोक्त 5 पेड़ों का दिनांक 13.02.2026 से किसी भी कार्य दिवस पर (10.00 बजे से 04.00 बजे तक) नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर निरीक्षण कर सकते हैं।
8. किसी के समय/नियम के परिवर्तन का सर्वाधिकार समिति अध्यक्ष के पास संरक्षित रहेगा।

दिनांक: फरवरी 19, 2026



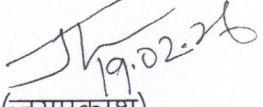
(जयप्रकाश)

अध्यक्ष

विशेष न्यायाधीश/
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित

1. नाजिर, कलेक्ट्रेट, मैनपुरी।
2. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।
3. कार्यालय अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
4. कार्यालय अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी।
5. स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जनपद न्यायालय, मैनपुरी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को।


(जयप्रकाश)

अध्यक्ष

विशेष न्यायाधीश/
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)